प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2020

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में नागर स्थानीय निकायों के लिये व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि में से नगरीय प्रशिक्षण संस्थान के लिये अनुमन्य 0.10 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में नगरीय निकायों हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 8700.00 करोड़ के सापेक्ष ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-23 के अनुसार नगरीय प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु मात्राकृत 0.10 प्रतिशत धनराशि रूपये 8.7 करोड़ (आठ करोड़ सात लाख मात्र) निम्नानुसार निदेशक, स्थानीय निकाय के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	निकाय	प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु 0.10% धनराशि
1.	नगर निगमों हेतु	3.48
2.	नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों हेतु	3.48
3.	नगर पंचायतों हेतु	1.74
	योग	8.70

2- उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि "निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का पालन करते हुए ए.टी.आर. की संस्तुति संख्या-23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत धनराशि उन्हीं कार्यों हेतु व्यय की जायेगी जिन कार्यों के लिये स्वीकृत की जा रही है।"

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः-

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड़ रूपये में)
1.	नगर निगमों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 191-नगर निगमों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	3.48
2.	नगर पालिकाओं /नगर परिषदों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	3.48
3.	नगर पंचायतों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	1.74
		योग	8.70

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 11/2020/बी-2-73(1)/दस-2020-1/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
5- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in